<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)</u>

//परिपत्र//

क्र. 03 /एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू/2020 बुरहानपुर, दिनांक–01.05.2021

रजिस्ट्री के एस.ओ.पी क्रमांक ए/113, दिनांक 15.01.2021 एवं अतिरिक्त एस.ओ.पी क्र. ए/1149 दिनांक 03.04.2021, एवं अधीनस्थ न्यायालय हेतु जारी अति. एस.ओ.पी. दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन आदेश क्रमांक एफ/35–09/2020/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 20.04.2021 की मंशा तथा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर के कोरोना कर्फ्यू आदेश क्रमाक–क/न्या.लि./2021/2586 दिनांक–29.04.2021 को दृष्टिगत रखते हुए, जिला अधिवक्ता संघ बुरहानपुर से हुई दूरभाष पर चर्चा के आधार पर, मैं कालूसिंह बारिया, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर, जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं तहसील न्यायालय नेपानगर के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक–2 दिनांक–22.04.2021 की कंडिका क्रमांक–2 की ड्यूटी लिस्ट में संशोधन कर, परिपत्र के शेष निर्देशों को निरंतर करते हुए उसमें कंडिका–13 के पश्चात्, अत्यावश्यक अन्य कंडिकाएं निम्नानुसार संयोजित करता हूं:–

2. उक्त अवधि में जिला न्यायालय बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निम्न अधिकारियों द्वारा संपादित किया जावेगा:

मुख्यालय	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम
जिला मुख्यालय बुरहानपुर	03.05.2021	1–श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2–श्री अमित शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	04.05.2021	1–श्री आर0के0 पाटीदार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2– सुश्री पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	05.05.2021	1– श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2– श्री धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
	06.05.2021	1–श्री आर. के. पाटीदार, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2– सुश्री शीतल बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
	07.05.2021	1–श्री तपेश कुमार दुबे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2–श्री आर0एस0 बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील मुख्यालय नेपानगर	दिनांक–03, 04, 05, 06, 07 मई 2021	श्री गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नेपानगर, तथा उनके अवकाश पर रहने की दशा में जिला मुख्यालय बुरहानपुर में तत्समय उपरोक्तानुसार उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

14. यदि किसी लंबित सत्र मामले में कोई जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है तो जिस न्यायालय में प्रकरण लंबित है, उसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही उसका निराकरण किया जायेगा।

15. यदि किसी अभियुक्त के द्वितीय, तृतीय आदि जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, तब उनका निराकरण उन्हीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिनके द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया था।

16. नियत दिनांकों के प्रकरणों को सीआईएस में अपडेट किये जाने हेतु प्रत्येक न्यायालय से एक–एक कर्मचारी (प्रस्तुतकार, निष्पादन लिपिक, स्टेनोग्राफर, साक्ष्य लेखक) क्रमानुसार उपस्थित होकर अपडेट करेंगे और किसी कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर उसकी

सूचना तत्काल पीठासीन अधिकारी दी जावेगी, ताकि वे उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी को उक्त प्रयोजन हेतु आदेशित करें।

17. पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथियों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में संबंधित मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक एवं रिमाण्ड ड्यूटी से संबंधित कार्य करेंगे।

उक्त आदेश दिनांक–07.05.2021 तक प्रभावशील रहेगा।

सही/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर

पृ. क्र. 610 /एक–15–7/15/एस.डब्ल्यू./2020 बुरहानपुर, दि. 22.04.2021

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) समस्त न्यायालय एवं अनुभाग तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर/तहसील न्यायालय नेपानगर
(3) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर
(4) जिला अभिभाषक संघ बुरहानपुर
(5) लोक अभियोजक/जिला अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर
(5) जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर
(6) पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर
(7) सी.एम.ओ, जिला चिकित्सालय, बुरहानपुर
(8) जेल अधीक्षक, जिला जेल खंडवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(9) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, बुरहानपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, समस्त संबंधितों को उनकी ई–मेल आई.डी./व्हाटसअप के माध्यम से सूचित करें।
(10) जिला नाजिर की ओर 03 प्रतियां, विभिन्न सूचना–पटल पर चस्पा करने हेतु एवं समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संसूचित कराये जाने हेतु प्रेषित।

22/4/2021

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर